न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 273/2016

1 रामोतार पुत्र स्व. रामेश्वर
2 शीशराम पुत्र स्व. रामेश्वर
3 पूर्ण पुत्र स्व. रामेश्वर
4 श्रवणी स्त्री स्व. रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 बनारसी देवी स्त्री बन्शीराम
2 दाताराम पुत्र बन्शीराम
3 कृष्णकुमार पुत्र बन्शीराम
4 सुमित्रा पुत्री बन्शीराम
5 चिड़िया पुत्री बन्शीराम
6 मन्जु पुत्री बन्शीराम जाति गुर्जर निवासी दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 हरिराम पुत्र परसादाराम उर्फ रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 सन्ती पुत्री रामेश्वर स्त्री पितराम जाति गुर्जर निवासी दिलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 कमला पुत्री रामेश्वर स्त्री देशराम जाति गुर्जर निवासी दिलपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 माया पुत्री रामेश्वर स्त्री पप्पु जाति गुर्जर निवासी जयलाल तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 मिन्टु पुत्री रामेश्वर स्त्री बलराम जाति गुर्जर निवासी जयलाल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
12 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी मुकदमा उनवानी बनारसी देवी बनाम हरिराम मुकदमा नम्बर 01/2014 दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम दुधवा तहसील खेतड़ी में स्थित जमीन गत खसरा नम्बर 1494 तादादी 1 बीघा 12 बिश्वा, खसरा नम्बर 974 तादादी 10 बिश्वा कुल रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा जमीन उनके पूर्वज बन्शीराम उर्फ मोहरूराम ने दिनांक 16.12.77 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलान्ट के पूर्वज रामप्रसाद उर्फ प्रसादाराम के क्रय की थी। उक्त जमीन के हाल खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2831/1268 रकबा 0.13 हैक्टेयर बने। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने तथाकथित रूप से क्रय की गई जमीन के खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जो वाद पत्र विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.03.2016 को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभिभाषक संघ खेतड़ी ने दिनांक 21.07.2015 से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रखा था। कार्य बहिष्कार के दौरान दिनांक 02.03.2016 अपीलान्टस की जवाब देही गलत रूप से बन्द कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री गलत रूप से पारित की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को जवाब देही का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट्स को वकील के माध्यम से पैरवी का मौका नहीं दिया। वकीलों की हड़ताल के दौरान गलत रूप से अपीलान्टस की जवाब देही बन्द की है। अपीलान्ट को साक्ष्य वादी की जिरह का अवसर नहीं दिया विचारण न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेतड़ी में तलब बाबत कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया तथा अपीलान्ट को सुना नहीं गया। विचारण न्यायालय के समक्ष आदेशिका में कांट छांट कर नजदीकी तारीख पेशी लगाकर अपीलान्टस को बिना सूचना दिये गलत निर्णय व डिक्री पारित की है। जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

होने योग्य है। अपीलान्ट नम्बर 1 से 3 के दादा जी प्रसादाराम उर्फ रामप्रसाद ने कभी भी विवादित जमीन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पति एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 6 के पिता बन्शीराम को कभी भी जमीन विक्रय नहीं की। दावा में अंकित दिनांक 16.12.1977 को अपीलान्टस के पूर्वज प्रसादाराम उर्फ रामप्रसाद ने बंशीराम के हक में कोई विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करवाया। उक्त तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी रूप से तैयार किया गया है एवं उक्त तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी एवं कुटरचित है। उक्त प्रसादाराम उर्फ रामप्रसाद के दो पुत्र रामेश्वर व रेस्पोडेन्ट हरिराम पैदा हुये। उक्त रामेश्वर का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सन्ती, कमला, मामा व मिन्टु स्त्री पुत्र व पुत्रियां होने से उक्त रामेश्वर के वारिस है। उक्त रामेश्वर के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन में उसके 1/2 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में उसके वारिसान को प्राप्त हुई तथा 1/2 हक हिस्से की जमीन हरिराम के नाम दर्ज रही। अपीलान्टस जमीन जैर बहस के रिकार्डेड खातेदार है व काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 का व उसके पूर्वजों का विवादित जमीन पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष झुंठा मुकदमा पेश किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने का कोई स्पष्ट आधार दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने अपीलान्ट की गलत रूप से जवाब देही बन्द करके बिना पूर्व सूचना के हड़ताल के दौरान मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार बरोज जानकारी निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद 60 दिन पेश है। फिर भी किसी कारणवश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं मानी जावें। उस सुरत में अपीलान्ट को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावें। देरी माफ करने के लिये अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत चल रही थी। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय का कार्यबहिष्कार चल रहा था। इसी दौरान विचारण न्यायालय ने जवाब बंद कर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बाला बाला वादी की साक्ष्य प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर